NOTE OF ORGANISATION OF USERS' CONSULTATIVE COMMITTEE OF ZONAL RAILWAYS AND NATIONAL RAILWAY USERS' CONSULTATIVE COUNCIL AT THE CENTRE.

*****

With a view to securing better representation of railway users and affording more frequent opportunities for consultation between Railway Administrations and users on matters relating to the services provided by Railways and means of improving the efficiency of such services, the Government has established Railway Users' Consultative Committees at various levels indicated below: -

(i) Railway Users' Consultative Committees at the Divisional levels .

(ii) A Zonal Railway Users' Consultative Committee at the headquarters of each railway; and

(iii) A National Railway Users' Consultative Council at the Center.

2. FUNCTIONS

The Railway Users' Consultative Committees in the Divisions represent the local users in the territories served by the Railway and consider matters relating to: -

i. Provision of amenities in the area with which the Committee is concerned.

ii. Proposal regarding opening of new stations within the jurisdiction of the Committee.

iii. Arrangements regarding time table.

iv. Improvement of passenger services and facilities provided by the Railways.

v. Any subject of general public interest or public convenience or such matters affecting the passenger services and facilities which has been the subject of representation by users, or which has been referred to them for consideration by the Zonal Railway Users' Consultative Committee, the National Railway Users' Consultative Council or by the Administration.

3. The Zonal Railway Users' Consultative Committee at the Headquarters of each railway represents the general railway users of the territory of zone served by the railway as a whole and considers:

(i) Such matters, from the point of view of the zone as a whole, as are referred to in para 2;

(ii) Matters arising from the reports of the Divisional Railway Users' Consultative Committees, or such other matters relating to the subject referred to in para 2, as may be specifically forwarded by the Divisional Committees for consideration; and

(iii) Matters referred for consideration and report by the Administration, Ministry of Railways or the National Railway Users' Consultative Council.

4. The National Railway Users' Consultative Council at the Center considers:.

(i) Such matters relating to the services and facilities provided by railways as may be referred to it for consideration by the Ministers.

(ii) Such matter being within the scope of the function of the Zonal Committee as are referred to it for consideration by such Committees; and

(iii) Such other matters relating to the services and facilities on railways, which individual members of the council may, with the approval of the Chairman, desire should be included in the agenda.

5. All the Committees and Council established under these rules are consultative in character.

6. Questions relating to staff, discipline and appointment should not be brought before the Committees or the Council.

7. The Divisional Railway Users' Consultative Committee will consist of members to represent the principal interests among railway users of the area, the membership being determined as follows:

i) Not more than six members to be appointed by the General Manager, made up of one representative each of local Chambers of Commerce, Trade Associations and industries and Agriculture Associations;

ii) Two representatives of the Registered Passenger Associations in the area, to be appointed by the General Manager;

iii)

a) One member to represent special interests to be nominated on the recommendations of the General Manager of the Railway.

b) Such number of persons as the Minister may consider necessary to be appointed to represent the interests, which he/she considers are necessary to be represented on the committee.

iv) One representative each of the Governments of the States served by the Division;

v) One member each of the Legislature of the States served by the Divisions recommended by the State Governments and

vi)

(a) One nominee of each Union Minister (Lok Sabha) on the Divisional Railway Users' Consultative Committee(s) serving his/her constituency.

(b) One nominee of each Union Minister (Rajya Sabha) on any one DRUCC serving the State from which he/she has been elected.

(c) One nominee of each Member of Parliament (Lok Sabha) on the Divisional Railway Users' Consultative Committee(s) serving his/her constituency.

(d) One nominee of each Member of Parliament (Rajya Sabha) on any one DRUCC serving the State from which he/she has been elected.

(e) Nominated Members of Parliament of Lok Sabha and Rajya Sabha can nominate one representative on any one DRUCC on any one Zonal Railway.

(f) No Member of Parliament will be nominated on Divisional Railway Users' Consultative Committee.

vii) One representative of Consumer Protection Organisation.

viii) One representative of Handicapped Association.

NOTE: -

Persons holding assignments of profit connected with Railways e.g. catering and vending contractors, Out Agency contractors, handling

contractors, engineering contractors, Rail Travellers Service Agents and State/Central Government Servant etc. are debarred from the membership of the Railway Users' Consultative Committees and the National Railway Users' Consultative Council.

8. Where by reason of the larger number of Chambers, Trade Associations, Passenger Associations etc. representation cannot be given to all such bodies, representation may be given to them by rotation.

9. The Divisional Railway Manager of the Division concerned will be the Chairman of the Divisional Railway Users' Consultative Committee. One of the senior traffic officers of the Division concerned will function as the Secretary of the Committee.

10. The Zonal Railway Users' Consultative Committee at the Headquarters of each railway consists of persons appointed by the Minister of Railways to represent the general railway users in the territory served by the railways as stated below:-

(i) One representative each of the Governments of the States served by the Railway as recommended by such Government.

(ii) One member each of the States Legislature recommended by the State Governments;

(iii) Note more than five representatives of principal Chambers of Commerce and Trade Associations having a standing of not less than five years.

(iv) Not more than two representatives to be sent by State Government or Governments of Agricultural Associations and other bodies not included in or affiliated to the Chambers of Commerce etc. referred to in item (3) above;

(v) One non-official representative elected from each of the Divisional Railway Users' Consultative Committees.

(vi) Two representative of the Public Sector Undertakings including Ports in the case of Railways serving Ports. On the N.F.Railway, the representation will be given to one Public Sector Undertaking only;

(vii) Registered Passenger Association – one from each of the State which have a sizeable route kilometers on the Railways. However, in case of those Railways whose jurisdiction is largely served by only one State and there is no active Registered Passenger Association in any other state, two Registered Passenger Associations can also be nominated from one state on one ZRUCC. However, in such cases, the total number of Registered Passenger Associations nominated on any ZRUCC will not be more than two.

(viii) One representative of Consumer Protection Organisation;

(ix) One representative of Handicapped Association.

x) Ten Members of Parliament (7 from Lok Sabha and 3 from Rajya Sabha);

xi) (a) One representative of each Union Minister (Lok Sabha) on the ZRUCC(s) serving his/her constituency.
(b) One representative of each Union Minister (Rajya Sabha) on any one ZRUCC serving the State from which he/she has been elected.

xii) One member to represent special interests to be nominated on the recommendation of the General Manager of the Railway; and

xiii) Such number of persons as the Minister may consider necessary to be appointed to represent the interests, which he/she considers are necessary to be represented on the committee.

NOTE:- Persons bolding assignments of profit connected with Railways, e.g. catering and vending contractors, out-agency contractors handling contractors, engineering contractors Rail Travellers Service Agents, State and Central Government Servants etc. are debarred from the membership of the Railway Users' Consultative Committees and the National Railway Users' Consultative Council.

11. The member of the Zonal Railway Users' Consultative Committee representing industries, commerce and trade are ordinarily drawn from important local Chambers or Association representing predominant trade interest and approved by the State Governments concerned. After the Chambers or Associations etc. are approved for representation by the Minister, how the Chamber or Associations etc. select their representative i.e. by election or otherwise is left to them.

12. The General Manager will be the Chairman of the Zonal Railway Users' Consultative Committee and the Secretary to the General Manager or such other officer as may be nominated for the purpose by the General Manager, will function as Secretary of the Committee.

13. National Railway Users' Consultative Council consists of persons appointed by the Minister for Railways to represent the General Railway Users as shown below:-

i) Secretaries of the following Ministries of the Government of India:

a) Ministry of Industry
b) Ministry of Commerce, Civil Supplies and Co-operation

Dell/M/D:/My Documents/Consultative Committee/Constn.

c) Ministry of Tourism and Civil Aviation

ii) Chairman, Members of the Railway Board.

NOTE: The Minister may invite any other officers to attend meetings of the Council, as he/she may consider necessary to assist in the conduct of business.

iii) Fifteen Members of Parliament, 10 of whom being from the Lok Sabha and five from Rajya Sabha. – 15

iv) A representative of each of Zonal Railway Users' Consultative Committee, Konkan Railway Users' Consultative Committee & Metro Railway Users' Consultative Committee, not being an official to be elected by the respective Zonal Railway Users' Consultative Committee/ KRUCC/ MRUCC – 18.

v) One member each from the following All India Associations: -

- Federated Chambers of Commerce
- Associated Chambers of Commerce and Industry
- Indian Jute Mills Association
- Indian Sugar Mills Association
- All India Manufacturers Association
- Cement Manufacturers Association.
- All India Travel Agents Association and similar All India Associations.

Members will be taken by turn from these Associations.-7

vi) One to represent Agricultural Interests- 1

vii) One to represent Handicapped Association - 1

viii) Two Retired officers of Railway (Member of Board/General Manager) – 2

ix) Such other members as the Minister may appoint to represent interests, which he/she considers are necessary to be represented on the council.

NOTE: Persons holding assignments of profit connected with the Railways e.g. catering and vending contractors, Out Agency contractors, handling contractors, engineering contractors, Rail Travellers' Service Agents and State/Central Government Servant etc. are debarred from the membership of the Railway Users' Consultative Committees and the National Railway Users' Consultative Council.

14. The Minister for Railways presides at the meeting of the National Railway Users' Consultative Council and in his absence, the Minister of State for Railways acts as Chairman. The Director Traffic Commercial (General), Railway Board is the Secretary of the Council.

15. The appointment to the Committees under these rules or to the National Railway Users' Consultative Council is for a period not exceeding two years. The tenure of Divisional Railway Users' Consultative Committees, Zonal Railway Users' Consultative Committee and National Railway Users' Consultative Council will commence in January, April and July respectively and run full term of 2 years from these months unless otherwise notified.

16. For purpose of representation of Government of States and Legislatures of States in the Zonal Railway Users' Consultative Committees established under these rules such representation will be finalised by the State Govt. concerned.

17. The Divisional Railway Users' Consultative Committee will ordinarily meet once a quarter but not less than three times a year, the Zonal Railway Users' Consultative Committee will meet three times in a year and National Railway Users' Consultative Council twice a year.

18. Suburban Railway Users' Consultative Committee on each of the Central, Western, Southern, Eastern and South Eastern Railways consists of members appointed by the General Manager as under: -

i) Chief Operating Superintendent - Chairman

ii) Head of Commercial and Engineering Department.

iii) Dy. General Manager (G) - Secretary

iv) One representative of the City Corporation or the Municipality where the headquarters of the Railway is located.

v) If there are any municipalities in the area of the suburban services, one representative each from not more than two municipalities in the area.

vi) One member from the Divisional Railway Users' Consultative Committee within whose jurisdiction the suburban sections fall (to be elected).

vii) One representative from the Zonal Railway Users' Consultative Committee (to be elected).

viii) Four representatives of Associations of Suburban Passengers on Central and Western Railways and two representatives on other Railways.

ix) One nominee of the General Manager, who must be a lady member; if no lady member is in the Committee under items 4, 5, 6, 7 and 8 of this paragraph.

x) In addition, four members in each committee is nominated by Minister of Railways under category of Special Interest.

xi) One Member of Parliament to be nominated by Ministry of Parliamentary Affairs will be intimated to the Ministry of Railways.

The tenure of the Suburban Railway Users' Consultative Committees is for two calendar years unless otherwise notified. The frequency of meetings will be as necessitated by the exigencies of work and as may be decided upon by the Chairman of Committee.

19. Station Consultative Committees are set up at every Zonal and Divisional Headquarters and also at selected stations serving important Industrial and Commercial centers. The Committee consists of representative of Chambers of Commerce, local Trade and Industry, registered Passengers' Associations, local educational institutions, local self-Govt. bodies and general public. The membership of the Committee should, however, not exceed 10.

19.1 The choice of the Industrial/Commercial centers where such Committees are to be set up together with their functions and composition has been left to the discretion of the General Manager of the Railway who will consult the appropriate DRUCC.

19.2 The tenure of the Station Consultative Committee is for two calendar years unless otherwise notified and meetings should be convened every four months at least.

20. Non-official Members of these Railway Users' Consultative Committees and the National Railway Users' Consultative Council other than MPs & MLAs, when attending meetings of the Committees or the Council or Sub-Committees of these bodies will be afforded reasonable facilities for travel and travelling allowance.

Requests from the Members of Railway Users' Consultative Committees for issue of Passes from the Railway Station nearest to members 'temporary' residence, whether for attending meetings of a Committee or for any other work of the Committee, may be considered on merits and passes issued with the personal approval of the General Manager for Committees functioning at the Zonal level and by Divisional Managers for Committees at the Divisional level.

The non-official members of the Station Consultative Committees are not entitled to any free passes, TA, DA etc. However, the non-official Members of these Committees will be paid a daily allowance of Rs.35/- (Thirty five) per member to cover their out pocket expenses in connection with formal meetings attended by them.

क्षेत्रीय रेलों पर उपयोगकर्ता परामर्श समिति और केन्द्र में राष्ट्रीय रेल उपयोगकर्ता परामर्श परिषद् के संगठन से संबंधित नोट

रेल उपयोगकर्ताओं को बेहतर प्रतिनिधित्व देने और रेलवे द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवा एवं ऐसी सेवा की कुशलता में सुधार करने के उपायों के संबंध में रेलवे प्रशासनों और उपयोगकर्ताओं के बीच परामर्श हेतु अधिक अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से सरकार ने नीचे दिए गए स्तरों पर रेल उपयोगकर्ता परामर्श समितियों का गठन किया है:-

1 मंडल स्तरों पर रेल उपयोगकर्ता परामर्श समितियां,
2 प्रत्येक क्षेत्रीय रेलवे मुख्यालय में क्षेत्रीय रेल उपयोगकर्ता परामर्श समिति, और
3 केन्द्रीय स्तर पर राष्ट्रीय रेल उपयोगकर्ता परामर्श परिषद्

2. <u>कार्य</u>

मंडलों पर रेल उपयोगकर्ता परामर्श समितियां रेलवे द्वारा सेवित क्षेत्रों में स्थानीय उपयोगकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करती है और निम्नलिखित से संबंधित मामलों पर विचार करती है:-

(i) उस क्षेत्र में सुविधाओं की व्यवस्था जिससे समिति संबंधित है।
(ii) समिति के क्षेत्राधिकार में पड़ने वाले क्षेत्रों में नए स्टेशन खोलने से संबंधित प्रस्ताव।
(iii) समय सारणियों से संबंधित व्यवस्था।
(iv) रेलवे द्वारा मुहैया कराई गई सेवाओं और सुविधाओं में सुधार।
(v) आम जनता के हित या जन सुविधा से संबंधित कोई भी मामला या ऐसी सेवा और सुविधाओं को प्रभावित करने वाला कोई भी मामला जो उपयोगकर्ताओं द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने का विषय है या ऐसा मामला जो उन्हें क्षेत्रीय रेल उपयोगकर्ता परामर्श समिति, राष्ट्रीय रेल उपयोगकर्ता परामर्श परिषद् या प्रशासन द्वारा विचार के लिए भेजा गया हो।

3. प्रत्येक रेल मुख्यालय में, क्षेत्रीय रेल उपयोगकर्ता परामर्श समिति, उस रेलवे द्वारा सेवित क्षेत्र या जोन के आम रेल उपयोगकर्ताओं का समग्र अतिनिधित्व करती है और निम्नलिखित पर विचार करती है:-

(i) समग्र जोन से संबंधित ऐसे मामले, जिनका पैरा 2 में उल्लेख किया गया है,

(ii) मंडल समितियों की रिपोर्टों से उत्पन्न मामले, या पैरा 2 में उल्लिखित विषय से संबंधित अन्य मामले, जो मंडल समितियों द्वारा विचार करने के लिए विशिष्ट रूप से अग्रेर्षित किए गए हों।

(iii) प्रशासन, रेल मंत्रलाय या राष्ट्रीय रेल उपयोगकर्ता परामर्श परिषद् द्वारा विचारार्थ भेजे गए मामले और रिपोर्ट।

4. केन्द्र स्तर पर राष्ट्रीय रेल उपयोगकर्ता परामर्श परिषद् निम्नलिखित पर विचार करती है:-

(i) रेलवे द्वारा मुहैया कराई जाने वाली सेवाओं और सुविधाओं से संबंधित ऐसे मामले जो मंत्रियों द्वारा उसे विचारार्थ सौंपे गए हों,

(ii) क्षेत्रीय समिति के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ऐसे मामले जिन्हें ऐसे समितियों के द्वारा उसे विचारार्थ भेजा गया हो, और

(iii) रेलों पर सेवाओं और सुविधाओं से संबंधित अन्य ऐसे मामले जिनके बारे में अध्यक्ष के अनुमोदन से परिषद् के सदस्यों द्वारा कार्य सूची में शामिल किए जाने की वांछा की गई हो।

5. इन नियमों के अंतर्गत गठित सभी समितियों और परिषद् का स्वरूप परामर्शदात्री है।

6. कर्मचारियों, अनुशासन और नियुक्ति से संबंधित मामले समितियों या परिषद् के समक्ष नहीं उठाए जाएंगे।

7. मंडल रेल उपयोगकर्ता परामर्श समिति में क्षेत्र के रेल उपयोगकर्ताओं के प्रमुख हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए सदस्य होंगे,सदस्यता का निर्धारण निम्नानुसार किया जाएगा:

(i) महाप्रबंधक द्वारा छः से अधिक सदस्य नहीं नियुक्त किए जाएंगे जिनमें स्थानीय चैम्बर्स ऑफ कामर्स, ट्रेड एसोसिएशनों और उद्योग तथा कृषि एसोसिएशनों का एक-एक प्रतिनिधि होगा;

(ii) क्षेत्र में पंजीकृत यात्री संघों के दो प्रतिनिधि होंगे, जिन्हें महाप्रबंधक द्वारा नियुक्त किया जाएगा;

(iii)

क) रेलवे के महाप्रबंधक की सिफारिश पर विशेष हित का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक सदस्य को मनोनीत किया जाएगा।

ख) ऐसे हितों, जिन्हें मंत्री समिति में प्रतिनिधित्व दिया जाना आवश्यक समझें, का प्रतिनिधित्व करने के लिए वह उतनी संख्या में व्यक्तियों को नामित कर सकता/सकती है, जितना वह आवश्यक समझे।

(iv) मंडल द्वारा सेवित राज्य सरकारों का एक-एक प्रतिनिधि;

(v) मंडल द्वारा सेवित राज्य विधानसभाओं का एक-एक सदस्य जिसकी राज्य सरकारों द्वारा सिफारिश की गई हो; और

(vi)

(क) मंडल रेल उपयोगकर्ता परामर्श समिति में प्रत्येक केनद्रीय मंत्री (लोक सभा) कस एक मनोनीत सदस्य जो उनके निर्वाच क्षेत्र को सेवित करता/करती हो।

(ख) प्रत्येक केंद्रीय मंत्री (राज्य सभा) द्वारा उस राज्य जहां से वह निर्वाचित होकर आया/आई हो, को सेवित करने वाली किसी मंडल रेल उपयोगकर्ता परामर्श समिति में एक मनोनीत सदस्य।

(ग) मंडल रेल उपयोगकर्ता सतिति (यों) में प्रत्येक संसद सदस्य (लोक सभा) के निर्वाचन क्षेत्र से एक मनोनीत सदस्य।

(घ) प्रत्येक संसद सदस्य (राज्य सभा) द्वारा उस राज्य, जहां से वह निर्वाचित होकर आया है/आई है, को सेवित करने वाली किसी-किसी एक मंडल रेल उपयोगकर्ता परामर्श समितिमें एक मनोनीत सदस्य।

(ङ) लोक सभा और राज्य सभा के मनोनीत सदस्यों द्वारा उस राज्य, जहां से वह निर्वाचित होकर एक मंडल रेल उपयोगकर्ता परामर्श समिति में एक मनोनीत सदस्य।

(च) मंडल रेल उपयोगकर्ता परामर्श समिति में किसी संसद सदस्य को मनोनीत नहीं किया जाएगा।

(vii) उपभोक्ता संरक्षण संगठन का एक प्रतिनिधि।

(Viii) दिव्यांग एसोसिएशनका एक प्रतिनिधि।

नोट:-

ऐसे व्यक्ति जो रेलवे से लाभ प्राप्त करने वाली गतिविधियों से जुड़े हो, जैसे खानपान और वेंडिंग ठेकेदार, आउट एजेंसी ठेकेदार, सम्हलाई ठेकेदार, इंजीनियरी ठेकेदार, रेल यात्री सेवा अभिकर्ता, राज्य/केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी आदि उपयोगकर्ता परामर्श समितियों और राष्ट्रीय रेल उपयोगकर्ता परामर्श परिषद् की सदस्यता के पात्र नहीं हैं।

8. चैंबर्स, ट्रेड एसोसिएशनों, यात्री संगठनों इत्यादि की संख्या बहुत अधिक होने के कारण यदि ऐसे सभी निकायों को प्रतिनिधित्व नहीं दिया जा सकता है तो उन्हें बारी-बारी से प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है।

9. संबंधित मंडल का मंडल प्रबंधक मंडल रेल उपयोगकर्ता परामर्श समिति का अध्यक्ष होगा। संबंधित मंडल में वरिष्ठ यातायात अधिकारियों में से एक अधिकारी समिति के सचिव के रूप में कार्य करेगा।

10. प्रत्येक रेलवे के मुख्यालय की क्षेत्रीय रेल उपयोगकर्ता परामर्श समिति में रेल द्वारा सेवित क्षेत्र के आम रेल उपयोगकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए रेल मंत्री द्वारा नियुक्त व्यक्ति होते हैं जैसा कि नीचे बताया गया है:-

(i) रेल द्वारा सेवित राज्य सरकारों का एक-एक प्रतिनिधि जिनकी सिफारिश उन सरकारों ने की हो।

(ii) राज्य विधान मंडलों का एक-एक सदस्य जिनकी सिफारिश राज्य सरकारों ने की हो।

(iii) प्रमुख चैंबर आफ कामर्स और ट्रेड एसोसिएशनों के अधिक से अधिक पांच प्रतिनिधि जिनको कम से कम पांच साल का अनुभव हो।

(iv) राज्य सरकार अथवा कृषि संगठनों और अन्य निकायों के दो प्रतिनिधि जो कि उपर्युक्त मद सं. (3) में उल्लिखित चैंबर आफ कामर्स में शामिल न हुए हो अथवा उससे संबद्ध न हो।

(v) प्रत्येक मंडल रेल उपयोगकर्ता परामर्श समिति से चयन किया गया एक गैर-सरकारी प्रतिनिधि।

(vi) बंदरगाहों सहित यदि रेलवे बंदरगाहों को सेवित कर रही हो, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के दो प्रतिनिधि, पूर्वोत्तर सीमा रेलवे पर सार्वजनिक क्षेत्र के केवल एक उपक्रम को प्रतिनिधित्व दिया जाएगा।

(vii) पंजीकृत यात्री संगठन: प्रत्येक राज्य से एक जहां रेलों पर बहुत अधिक मार्ग किलोमीटर हो। बहरहाल, उन रेलों के मामले में, जिनका क्षेत्राधिकार मुख्यत:

एक ही राज्य द्वारा सेवित है और किसी अन्य राज्य में कोई सक्रिय पंजीकृत यात्री संघ नहीं है, एक क्षेत्रीय रेल उपयोगकर्ता परामर्श समिति में एक राज्य से दो पंजीकृत यात्री संघों को भी नामित किया जा सकता है। बहरहाल, ऐसे मामलों में, किसी क्षेत्रीय रेल उपयोगकर्ता परामर्श समिति में पंजीकृत यात्री संघों की कुल संख्या दो से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(viii) उपभोक्ता संरक्षण संगठन का एक प्रतिनिधि।

(ix) दिव्यांग एसोसिएशन का एक प्रतिनिधि।

(x) 10 सांसद (7 लोक सभा से + 3 राज्य सभा से)

(xi) (क) प्रत्येक केंद्रीय मंत्री (लोक सभा) के चुनाव क्षेत्र को सेवित करने वाली क्षेत्रीय रेल उपयोगकर्ता परामर्श समिति में उसका एक प्रतिनिधि।

(ख) प्रत्येक केंद्रीय मंत्री (राज्य सभा) के चुनाव क्षेत्र को सेवित करने वाली क्षेत्रीय रेल उपयोगकर्ता परामर्श समिति में उसका एक प्रतिनिधि।

(xii) रेलवे के महाप्रबंधक की सिफारिश पर विशेष हित का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक सदस्य को मनोनीत किया जाएगा और

(xiii) ऐसे हितों, जिन्हें मंत्री समिति में प्रतिनिधित्व दिया जाना आवश्यक समझें, का प्रतिनिधित्व करने के लिए वह उतनी संख्या में व्यक्तियों को नामित कर सकता/सकती है, जितना वह आवश्यक समझे।

<u>**टिप्पणी:-**</u>ऐसे व्यक्ति जो रेलवे से लाभ प्राप्त करने वाली गतिविधियों से जुड़े हों जैसे खानपान और वेंडिंग ठेकेदार, आउट एजेंसी ठेकेदार, सम्हलाई ठेकेदार, इंजीनियरी ठेकेदार, रेल यात्री सेवा अभिकर्ता, राज्य और केंद्रीय सरकार के कर्मचारी आदि रेल उपयोगकर्ता परामर्श समितियों और राष्ट्रीय रेल उपयोगकर्ता परामर्श परिषद् की सदस्यता के पात्र नहीं है।

11. उद्योग, वाणिज्य और व्यापार का प्रतिनिधित्व करने वाले क्षेत्रीय रेल उपयोगकर्ता परामर्श समिति के सदस्य आम तौर पर राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित प्रमुख व्यापार हितों का प्रतिनिधित्व कर रहे स्थानीय चैंबर्स अथवा एसोसिएशन से लिए जाते हैं। मंत्री द्वारा चैंबर्स अथवा एसोसिएशनों को प्रतिनिधित्व के लिए अनुमोदित कर दिए जाने के बाद चैंबर्स अथवा एसोसिएशनें आदि अपने प्रतिनिधि का चयन चुनाव अथवा अन्य किसी तरीके से स्वयं कर सकते हैं।

12. महाप्रबंधक क्षेत्रीय रेल उपयोगकर्ता परामर्श समिति के अध्यक्ष होंगे तथा महाप्रबंधक के सचिव अथवा महाप्रबंधक द्वारा इस प्रयोजन के लिए नामित ऐसा कोई अधिकारी समिति के सचिव के रूप में कार्य करेगा।

13. राष्ट्रीय रेल उपयोगकर्ता परामर्श परिषद आम रेल उपयोगकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए रेल मंत्री द्वारा नियुक्त व्यक्ति होंगे जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:-

(i) भारत सरकार के निम्नलिखित मंत्रालयों के सचिव

(क) उद्योग मंत्रालय।

(ख) वाणिज्य, नागरिक आपूर्ति एवं सहकारिता मंत्रालय

(ग) पर्यटन एवं नागर विमानन मंत्रालय

(ii) रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यगण

टिप्पणी: मंत्री महोदय परिषद की बैठकों में भाग लेने के लिए किन्हीं अन्य अधिकारियों को आमंत्रित कर सकते हैं जिन्हें वह कार्य संचालन में सहायता के लिए आवश्यक समझें।

(iii) संसद के 15 सदस्य, जिनमें से 10 सदस्य लोक सभा से तथा 5 सदस्य राज्य सभा से ।

(iv) प्रत्येक क्षेत्रीय रेलवे उपयोगकर्ता परामर्श समिति, कोंकण रेलवे उपयोगकर्ता परामर्श समिति एवं मैट्रो रेलवे उपयोगकर्ता परामर्श समिति का एक प्रतिनिधि जो सरकारी अधिकारी नही होगा संबंधित क्षेत्रीय रेलवे उपयोगकर्ता परामर्श समिति/ के०आर०यू०सी०सी०/ एम०आर०यू०सी०सी० द्वारा चुना जाएगा । -18.

(v) निम्नलिखित अखिल भारतीय एसोसिएशनों से एक-एक सदस्य:-

- फेडरेटिड चैम्बर्स ऑफ कामर्स
- एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री
- इंडियन जूट मिल्स एसोसिएशन
- इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन
- आल इंडिया मैन्युफैक्चर्स एसोसिएशन
- सीमेंट मैन्युफैक्चर्स एसोसिएशन
- आल इंडिया ट्रेवल एजेंट्स एसोसिएशन तथा इस तरह की आल इंडिया एसोसिएशनें इन एसोसिएशनों से बारी के आधार पर सदस्य लिए जाएंगे -7

(vi) कृषि हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए -1

(vii) दिव्यांग एसोसिएशन का प्रतिनिधि -1

(vii) रेलवे के दो सेवानिवृत्त अधिकारी (बोर्ड के सदस्य/महाप्रबंधक)-2

(ix) ऐसे अन्य सदस्यों जिन्हें मंत्री ऐसे हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए नियुक्त करना चाहे जिन्हें वे परिषद में प्रतिनिधित्व देना आवश्यक समझते हों, का प्रतिनिधित्व।

<u>टिप्पणी:</u> रेलों से लाभ प्राप्त करने वाली गतिविधियों से जुड़े व्यक्ति अर्थात खानपान और वेंडिंग ठेकेदार, आउट एजेंसी ठेकेदार, सम्हलाई ठेकेदार, इंजीनियरी ठेकेदार, रेल यात्री सेवा एजेंट तथा केन्द्रीय/राज्य सरकार के कर्मचारी आदि रेलवे उपयोगकर्ता परामर्श सममितियों तथा राष्ट्रीय रेल उपयोगकर्ता परामर्श परिषद की सदस्यता के पात्र नहीं हैं।

14. रेल मंत्री राष्ट्रीय रेल उपयोगकर्ता परामर्श परिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हैं तथा उनकी अनुपस्थिति में रेल राज्य मंत्री अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। निदेशक, यातायात वाणिज्य (सामान्य) रेलवे बोर्ड, परिषद का सचिव होता है।

15. इन नियमों के तहत समितियों अथवा राष्ट्रीय रेल उपयोगकर्ता परामर्श परिषद में नियुक्ति दो साल की अवधि के लिए होती है। मंडल रेल उपयोगकर्ता परामर्श समितियों, क्षेत्रीय रेल उपयोगकर्ता परामर्श समिति तथा राष्ट्रीय परिषद का कार्यकाल क्रमशः जनवरी, अप्रैल तथा जुलाई में आरंभ होगा तथा इन महीनों से 2 वर्ष की पूर्ण अवधि के लिए होगा बशर्ते अन्यथा अधिसूचित न किया जाए।

16. क्षेत्रीय रेल उपयोगकर्ता परामर्श समितियों में राज्य सरकारों तथा राज्य विधान मंडलों के प्रतिनिधित्व के प्रयोजन हेतु इस प्रतिनिधित्व को इन नियमों के तहत संबंधित राज्य सरकार द्वारा अंतिम रूप दिया जाएगा।

17. मंडल रेल उपयोगकर्ता परामर्श समिति की बैठक सामान्यतया तीन महीने में एक बार होंगी लेकिन वर्ष में तीन बार से कम नहीं, क्षेत्रीय रेलवे उपयोगकर्ता परामर्श समितियों की बैठक वर्ष में तीन बार होगी तथा राष्ट्रीय रेल उपयोगकर्ता परामर्श परिषद की बैठक वर्ष में दो बार होगी।

18. मध्य, पश्चिम, दक्षिण, पूर्व तथा दक्षिण पूर्व रेलों की प्रत्येक की उपनगरीय रेल उपयोगकर्ता परामर्श समितियों में महाप्रबंधक द्वारा नियुक्त सदस्य निम्नानुसार होते हैं:-

(i) मुख्य परिचालन अधीक्षक-अध्यक्ष
(ii) वाणिज्यिक और इंजीनियरी-विभागों के विभागाध्यक्ष
(iii) उप महाप्रबंधक (सामान्य)-सचिव

(iv) नगर निगम अथवा नगरपालिका जहां रेलवे मुख्यालय स्थित है, का एक प्रतिनिधि

(v) उपनगरीय सेवाओं के क्षेत्र में यदि कई नगरपालिकाएं हों तो क्षेत्र की दो नगरपालिकाओं से एक-एक प्रतिनिधि।

(vi) मंडल रेल उपयोगकर्ता परामर्श समिति, जिसके अधिकार क्षेत्र में उपनगरीय खंड पड़ते हैं, से एक सदस्य (चुनाव द्वारा)

(vii) क्षेत्रीय रेल उपयोगकर्ता परामर्श समिति से एक प्रतिनिधि (चुनाव द्वारा)

(viii) मध्य और पश्चिम रेलों पर उपनगरीय यात्री एसोसिएशनों के चार प्रतिनिधि तथा अन्य रेलों पर दो प्रतिनिधि

(ix) महाप्रबंधक द्वारा एक नामिती जो महिला सदस्य होगी और बशर्ते इस पैराग्राफ की मद सं. 4,5,6,7 और 8 के अंतर्गत समिति में कोई महिला सदस्य न हो।

(x) इसके अलावा, रेल मंत्री द्वारा प्रत्येक समिति में विशेष हित कोटि के अंतर्गत चार सदस्य नामित किए जाते हैं।

(xi) संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा नामित किए जाने वाले संसद सदस्य की सूचना रेल मंत्रालय को दी जाएगी।

उपनगरीय रेल उपयोगकर्ता परामर्श समितियों का कार्यकाल दो कैलेंडर वर्ष है बशर्ते अन्यथा अधिसूचित न किए जाए। बैठकों का आयोजन कार्य की आकस्मिकताओं को देखते हुए आवश्यक होने तथा समिति के अध्यक्ष द्वारा लिए गए निर्णय के आधार पर होगा।

19. स्टेशन परामर्श समितियां प्रत्येक क्षेत्रीय और मंडल मुख्यालयों तथा महत्वपूर्ण औद्योगिक और वाणिज्यिक केंद्रों को सेवित करने वाले चुनिंदा स्टेशनों पर भी गठित की जाती है। समिति में वाणिज्य मंडल, स्थानीय व्यापार और उद्योग, पंजीकृत यात्री एसोसिएशनों, स्थानीय शैक्षिणिक संस्थानों, स्थानीय स्वशासी सरकारी निकायों तथा आम जनता के प्रतिनिधि होते हैं। बहरहाल, समिति की सदस्यता 10 से अधिक नहीं होनी चाहिए।

19.1 औद्योगिक/वाणिज्यिक केन्द्रों के निर्धारण को जहां ऐसी समितियां स्थापित की जानी होती हों, वहां उनके कार्य निर्धारण तथा संरचना के कार्य सहित, रेलवे के महाप्रबंधक के विवेक पर छोड़ दिया गया है, जो उपयुक्त मंडल रेल उपयोगकर्ता परामर्श समिति से परामर्श करेंगे।

19.2 स्टेशन परामर्श समिति का कार्यकाल दो कैलेंडर वर्ष का है बशर्ते अन्यथा आधिसूचित न किया जाए तथा बैठकें कम से कम चार महीने में एक बार आयोजित की जानी चाहिए।

20. इन रेल उपयोगकर्ता परामर्श समितियों तथा राष्ट्रीय रेल उपयोगकर्ता परामर्श परिषद के गैर सरकारी सदस्यों को संसद सदस्यों तथा विधायकों को छोड़कर, समितियों अथवा परिषद अथवा इन निकायों की उप समितियों की बैठकों में भाग लेने के लिए यात्रा और यात्रा संबंधी भत्तों के लिए पर्याप्त सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।

समिति की बैठक में भाग लेने तथा समिति के किसी अन्य कार्य के लिए सदस्यों के अस्थायी आवास के निकटतम रेलवे स्टेशन से पास जारी करने हेतु रेल उपयोगकर्ता परामर्श समितियों के सदस्यों के आवेदनों पर गुण-दोष के आधार पर विचार किया जाएगा तथा क्षेत्रीय स्तर पर कार्यरत समितियों के लिए महाप्रबंधक तथा मंडल स्तर पर समितियों के लिए मंडल प्रबंधकों के व्यक्तिगत अनुमोदन से पास जारी किए जाएंगे।

स्टेशन परामर्श समितियों के गैर-सरकारी सदस्य किसी निःशुल्क पास, यात्रा भत्तों, दैनिक भत्तों आदि के पात्र नहीं होते हैं। बहरहाल इन समितियों के गैर सरकारी सदस्यों को उनके द्वारा औपचारिक बैठकों में भाग लेने पर जेब खर्च के लिए प्रति सदस्य 100/- रुपये (1.7.2013 से संशोधित) दैनिक भत्ते का भुगतान किया जाएगा।

*****